



कार्यालय-प्राचार्य
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सड्डू
रायपुर (छत्तीसगढ़)



क्रमांक-औप्रस/राय/प्रशि/मेह.प्रव./2026/

/रायपुर दिनांक

प्रेस विज्ञप्ति

नोडल संस्था, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सड्डू रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रायपुर जिले की विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित व्यवसायों/विषयों के प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण अधिकारियों के स्वीकृत पद के रिक्त पदों (कार्यरत् नियमित प्रशिक्षण अधिकारी/संविदा प्रशिक्षण अधिकारी/मेहमान प्रवक्ता को छोड़कर शेष रिक्त पद) के विरुद्ध प्रशिक्षण सत्र 2025-26 हेतु मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) के लिए आवेदन पत्र हार्ड कापी में दिनांक:- 28.05.2026 को समय-सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, विधानसभा रोड, एम.जी.एम. आई हॉस्पिटल के सामने, सड्डू, रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड- 492014 में अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर जमा करें। निर्धारित तिथि एवं समय के पूर्व एवं पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं किया जावेगा। विज्ञापन विवरण जिला रायपुर की वेबसाईट www.raipur.gov.in एवं संस्था के सूचना पटल पर देखा जा सकता है। पदों की जानकारी शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएं, निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार है :-

1. पदों की जानकारी:-

क्र.	जिला नोडल संस्था का नाम	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाका नाम	व्यवसाय/विषय का नाम	कुल पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायपुर (छ.ग.)	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सड्डू, रायपुर	1. टर्नर	1
2. मैकेनिक मोटर व्हीकल			1	
3. स्टेनोग्राफर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (अंग्रेजी)			1	
4. इंस्ट्रुमेंट मैकेनिक			1	
2		औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था माना, रायपुर	1. इंस्ट्रुमेंट मैकेनिक	1
कुल पदों की संख्या				5

[Handwritten Signature]

2. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र.	व्यवसाय का नाम	शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता
1	2	3
1.	टर्नर	<ol style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। अभ्यर्थी, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र/मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/प्रोडक्शन एवं मनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण।
2	मैकेनिक मोटर व्हीकल	<ol style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानीपद्धति से 11 वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। अभ्यर्थी, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/ऑटो मोबाईल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण। हल्के मोटरयान (एलएमव्ही) का वैध लायसंस अनिवार्य है।
3	स्टेनोग्राफर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (अंग्रेजी)	<ol style="list-style-type: none"> किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) मुद्रलेखन परिषद् से :- (ख) शीघ्रलेखक सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (अंग्रेजी) के लिए- अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।
4	इंस्ट्रुमेंट मैकेनिक	<ol style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। अभ्यर्थी, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र। प्रचलित विभागीय भर्ती नियम की शाखाओं की प्रासंगिकता (शैक्षणिक अर्हता) सारणी अनुसार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण।

टीप:- इंजीनियरिंग शाखाओं की समतुल्यता/समकक्षता का निर्धारण प्रचलित विभागीय भर्ती नियम "छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी भर्ती नियम 2014 यथा संशोधित 31 मई 2019 के अनुसार किया जावेगा।

(Handwritten Signature)

(अ) चयन प्रक्रिया नियम एवं शर्तें :-

1. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तियों के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी, अनुभव आवश्यक नहीं है।
2. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिए सी.टी.आई./ए.टी.आई. आवश्यक है उन पदों के लिए एक वर्षीय सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता के प्राप्तियों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जायेगा। सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता धारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तियों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी।
3. तकनीकी व्यवसायों के लिए आवेदकों की तकनीकी योग्यता के प्रमाण-पत्र के प्राप्तियों के आधार पर मेरिट अंकों की गणना कर चयन की कार्यवाही की जावेगी। मेरिट अंकों की गणना में ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी. आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट. के प्राप्तियों को शामिल नहीं किया जावेगा।
4. छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी भर्ती नियम 2014 यथा संशोधित 2019 में जिन व्यवसायों हेतु राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र का उल्लेख है, उन व्यवसायों हेतु राज्य व्यवसायिक प्रमाण-पत्र परीक्षा (एस.सी.व्ही.टी.) उत्तीर्ण आवेदकों को संबंधित व्यवसाय/विषय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र परीक्षा (NAC) उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं। उन आवेदकों के मेरिट की गणना उनके राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र के प्राप्तियों के आधार पर की जावेगी।
5. व्यवसाय-मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए हल्के मोटर यान (LMV) का वैद्य स्थायी लाईसेंस की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न न किये जाने की स्थिति में आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा। वैद्य स्थायी लाईसेंस विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व का जारी किया होना चाहिये।
6. मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
7. मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर देते हुए स्पष्ट कारण दर्शाते हुए उसे प्रशिक्षण में जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।
8. शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित/संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएँ स्वतः समाप्त हो जायेंगी।
9. मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित/संविदा पर पदस्थापना होने की स्थिति में उस पद के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।
10. यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं/व्यवसायों/विषयों के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं/व्यवसायों/विषयों पर चयन स्वयमेव निरस्त माना जायेगा।
11. पृथक-पृथक संस्थाओं/व्यवसायों/विषयों के लिये पृथक-पृथक आवेदन जमा करना होगा।


12. मेहमान प्रवक्ताओं को परिशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटा राशि रु.140/-मात्र (रूपये एक सौ चालीस मात्र) की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे के मानदेय का प्रावधान है प्रति माह अधिकतम राशि रु. 15000/-मात्र (रूपये पन्द्रह हजार मात्र) मानदेय होगा। जो कि समय-समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा।
13. आवेदकों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। (प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।)
14. पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या बढ़ोत्तरी अथवा समाप्त की जा सकेगी।
15. व्यवसाय- स्टेनोग्राफर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (अंग्रेजी) में प्राप्त आवेदनों में शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो संयुक्त संचालक स्वयं के स्तर पर निर्णय लेकर 80 शब्द प्रति मिनटयोग्यता वाले अभ्यर्थियों पर विचार कर सकेंगे, इन व्यवसायों हेतु प्राप्त पात्र आवेदकों की शीघ्रलेखन कौशल परीक्षा ली जाकर नियमानुसार चयन की प्रक्रिया की जावेगी।
16. मेहमान प्रवक्ता के रूप में चयन उपरांत यदि वह निर्धारित की गयी अवधि तक कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसका चयन निरस्त माना जाकर मेरिट सूची के क्रमशः अगले अभ्यर्थी को अवसर दिया जायेगा। इसी क्रम से मेरिट सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जायेगा।

(ब) अन्य आवश्यक नियम एवं शर्तें :-

1. आवेदन पत्र में आवेदित संस्था एवं व्यवसाय का नाम का निर्धारित स्थान पर उल्लेख करना आवश्यक है।
2. आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
3. वांछित प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र को हस्ताक्षर सहित सादे कागज में प्रस्तुत किया जाना है।
4. आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र में आवेदक के हस्ताक्षर नहीं पाये जाने पर आवेदन को मान्य नहीं किया जायेगा।
5. आवेदन केवल प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायपुर (छ0ग0) पिन कोड- 492014 को ही जमा किया जाना है। अन्य संस्था में जमा किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
6. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदकों को सूचना नहीं दी जाएगी।
7. ऐसे आवेदन जिनमें स्वयं का फोटोग्राफ एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों जिसके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है की संलग्न छायाप्रतियां स्वप्रमाणित नहीं पाये जाने पर आवेदन को निरस्त /अमान्य किया जावेगा।
8. किसी आवेदक के विरुद्ध अपराधिक अथवा दाण्डिक प्रकरण की जानकारी मिलने पर तत्काल प्रशिक्षण कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।
9. आवेदन पत्र पर एक से अधिक व्यवसाय/विषय अथवा एक से अधिक संस्था का नाम अंकित होने पर आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा।
10. जिस व्यवसाय हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये हैं उस व्यवसाय से संबंधित तकनीकी योग्यता संबंधी दस्तावेज संलग्न न होने पर आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। मूल अंकसूची (अंतिम सेमेस्टर/वर्ष) जिसमें समस्त सेमेस्टर/वर्षों के अंकों का उल्लेख हो, की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां ही मान्य किया जावेगा। टैबुलेशन शीट, ऑनलाईन रिजल्ट शीट इत्यादि मान्य नहीं किया जावेगा।



11. यदि आवेदक के पास किसी व्यवसाय/विषय के पद के लिये एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता जैसे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र/इंजीनियरिंग में उपाधि/इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस तकनीकी योग्यता में सर्वाधिक प्रतिशत अंक होंगे उसी तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी।
12. संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु अद्यतन जारी आदेश/निर्देशानुसार संबंधित पद हेतु प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर मेरिट/चयन सूचियां तैयार की जाएगी। चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होगा।
13. चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी। दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोबाईल नम्बर सही एवं स्पष्ट भरें। दिए गए मोबाईल नम्बर पर संपर्क ना हो पाने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
14. नोडल अधिकारी/प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, रायपुर द्वारा रायपुर जिले की विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारियों के स्वीकृत पद के रिक्त पदों के विरुद्ध प्राप्त जानकारी अनुसार इस संस्था से मात्र अभ्यर्थी से आवेदन पत्र आमंत्रित कर पात्र/अपात्र सूची तैयार कर पात्र अनुमोदित सूची को संबंधित संस्था में प्रेषित की जावेगी।
15. समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।


प्राचार्य/प्रो. अधिकारी
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
रायपुर (छत्तीसगढ़)

मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नाम.....
(जहां के लिये आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं)
व्यवसाय/विषय का नाम

स्वयं का पासपोर्ट
साईज फोटो
स्वप्रमाणित

प्रति,

प्राचार्य
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,
सड्डू जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)
पिन कोड- 492014

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. माता का नाम :
4. जन्मतिथि (अंकों में) :
(शब्दों में) :
5. दूरभाष/मोबाईल नंबर : (1) (2).....
6. पत्र व्यवहार का पता :
7. स्थाई पता :
8. सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण हां नहीं
9. हल्के मोटरयान (एल.एम.व्ही) का वैध लाइसेंस हां नहीं
(केवल व्यवसाय मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए)
10. शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता का विवरण :

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/विवि का नाम	व्यवसाय/विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8

टीप:-

1. पृथक-पृथक संस्था/व्यवसाय/विषय के लिये पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावे।
2. सभी आवश्यक दस्तावेज अनिवार्यतः संलग्न करें।
3. सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित हैं हां नहीं

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, जो कि सही एवं सत्य है।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम :

पूरा पता :

मोबाईल नं० :



// शपथ पत्र //

1. मैं संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित किये गये एवं समय-समय पर संशोधित/लागू मानदेय प्राप्त करूंगा/करूंगी।
2. मेरे द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी एवं प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्र सही एवं सत्य हैं। प्रस्तुत प्रमाण पत्र एवं जानकारी गलत पाये जाने कि स्थिति में समस्त कार्यवाही के लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।
3. मैं कभी नियमित/संविदा पद हेतु दावा नहीं करूंगा/करूंगी तथा यह चयन इस सत्र के लिये या आवश्यकता रहने तक या नियमित/स्थानांतरित/संविदा कर्मचारी की पदस्थापना होने तक रहेगा/रहेगी। उसके लिये मैं सहमत हूँ।
4. मैं संस्था में प्राचार्य/अधीक्षक/संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार कार्य करूंगा/करूंगी।
5. मैं एक से अधिक संस्था/व्यवसाय/विषय में चयनित होने की स्थिति में एक ही संस्था/व्यवसाय/विषय में प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाऊंगा/जाऊंगी। दूसरे संस्था/व्यवसाय/विषय के लिये चयन स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।
6. मैं शासन एवं संस्था के समस्त आदेशों/निर्देशों तथा नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।
7. यदि मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार के अपराधिक प्रकरण में संलिप्तता की जानकारी प्राप्त होने पर प्रशिक्षण कार्य से मुक्त कर दिया जावेगा।
8. विज्ञापन में निहित समस्त नियम/शर्तों को मेरे द्वारा पढ़ लिया गया है एवं मान्य है।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम :

पूरा पता :

.....

.....

मोबाईल नं० :


प्राचार्य,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
रायपुर (छत्तीसगढ़)